डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : प्रशा०/353/2024 दिनांक : 16/07/2024

सेवा में,

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. मुख्य प्रानुशासक, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/समन्वयक, आवासीय संस्थान।
4. प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध/संघटक महाविद्यालय।
   डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय : प्रदेश में दिनांक 16 जुलाई, 2024 से 22 जुलाई, 2024 तक ''भूजल सप्ताह'' के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या 1605/सत्तर–3–2024 दिनांक 16 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में दिनांक 16 जुलाई, 2024 से 22 जुलाई, 2024 तक ''भूजल सप्ताह'' आयोजित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है।

अतः उक्त से अनुरोध है कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

16/7/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
3. उप–कुलसचिव, प्रशासन।
4. विश्वविद्यालय मीडिया, प्रभारी।
5. प्रभारी–कुलपति सचिवालय/कैम्प कार्यालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉग–इन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

16/7/24

कुलसचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–1605/सत्तर–3–2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2024**

विषय : प्रदेश में दिनांक 16 जुलाई 22 जुलाई, 2024 तक "भूजल सप्ताह" के आयोजन किये जानें के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–571/76–3–2024–830/98, दिनांक 01.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में दिनांक 16 जुलाई 22 जुलाई, 2024 तक "भूजल सप्ताह" के आयोजन हेतु उक्त संदर्भित में दिये गये कतिपय निर्देशों को सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–571/76–3–2024–830/98, दिनांक 01.07.2024 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिशिचित कराते हुए एवं उसकी अनुपालन आख्या एक पक्ष में उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O

संख्या- 571/76-3-2024-830/98

प्रेषक

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या 8016 / VIP PSHED/2024

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 दिनांकः लखनऊः 01/07/2024

विषयः प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2024 तक "भूजल सप्ताह" का आयोजन।

महोदय,

जल प्रकृति का वह अनुपम उपहार है, जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं लगभग 70% सिंचाई हेतु भूजल संसाधन पर निर्भरता के कारण जल संसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, एवं अनेक क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है। वर्ष 2000 में प्रदेश के सुरक्षित विकास खण्डों की संख्या 745 थी जो वर्ष 2023 के आंकलन के अनुसार घटकर 559 हो चुकी है। साथ ही वर्ष 2000 में प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों की संख्या मात्र 20 थी, जो अब लगभग पांच गुना बढ़कर वर्तमान आंकलन में 95 पहुँच चुकी है। भूजल संसाधन के नवीनतम आंकलन-2023 के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 53 विकासखण्ड अतिदोहित, 42 विकासखण्ड क्रिटिकल एवम् 172 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गये हैं।

2. भूजल का समेकित प्रबन्धन एवम् नियोजित विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है। जहाँ एक ओर रिचार्जिंग के विभिन्न कार्य यथा-तालाबों का निर्माण एवम् जीर्णोद्वार, चेकडैम का निर्माण, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना आदि तथा सिंचाई में जल के बेहतर उपयोग हेतु कम जल खपत वाली विधियाँ जैसे कि ड्रिप एवम् स्प्रिकंलर प्रणाली को प्रोत्साहन इत्यादि के कार्य किए जा रहे है, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में अनियंत्रित एवम् अविवेकपूर्ण भूजल दोहन को विनियमन की परिधि में भी लाया गया है। विनियमन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 प्रख्यापित किया गया है, जो प्रदेश में 02 अक्टूबर-2019 से लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूजल प्रबन्धन परिषद् के द्वारा जनपद में न केवल अनियंत्रित दोहन पर रोक लगी है अपितु भूजल प्रदुषण के भी रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। भूजल प्रबन्धन की दिशा में उठाये जा रहे इन्हीं समग्र प्रयासों का प्रतिफल है कि विगत 05 वर्षो में न केवल प्रदेश के 34 विकास खण्ड संकटग्रस्त स्थिति से बाहर आये हैं अपितु प्रदेश के 36 जनपदों के औसत भूजल स्तर गिरावट में कमी आयी है। इन प्रयासों की निरन्तरता को बनाये रखना है।

(आर०पी० चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(ऊषा यादव)
निजी सचिव,
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ० प्र० शासन।

3. आप अवगत है कि जल शक्ति अभियान-V का शुभारम्भ 09 मार्च, 2024 को मा0 जल शक्ति मंत्री जी द्वारा किया गया है। यह अभियान देश के सभी ग्रामीण एवम् शहरी क्षेत्रों में एक साथ ''नारी शक्ति से जल शक्ति'' थीम के साथ प्रारम्भ किया गया है। अभियान की अवधि 09 मार्च, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक निर्धारित किया गया है। अभियान का उद्देश्य मानसून के प्रारम्भ से पहले कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, वर्तमान तालाबो और जल निकायों को पुनर्जीवित करके नए जल निकायों का निर्माण, चेकडैमों का पुनरोद्धार, आद्रभूमि तथा नदियों का कायाकल्प करके वर्षा जल का संचय करना है। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी से यह भी अपेक्षा है कि जल संचयन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभागों यथा ग्राम्य विकास विभाग, वन संरक्षण, पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान एवम् खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन तथा लघु सिंचाई विभाग को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए इस अभियान को अपने-अपने जनपद में सफल बनायें।

4. आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भीय जल की महता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए है तथा प्रत्येक वर्ष दिए जाते रहे है। वर्ष 2024 में भूजल सप्ताह की सफलता हेतु आपसे निम्नवत् अपेक्षाएं है:-

(अ) वर्तमान में भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल स्तर पर ही स्थापित है, जबकि "भूजल सप्ताह" का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर अवस्थित लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनपदीय नोडल अधिकारी एवम् मण्डल स्तर पर भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(ब) बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।

(स) शहरी क्षेत्रों में आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् जन-जागरूकता हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेगें।

(द) जन सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवम् स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का भी यथा सम्भव सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान क्लब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र, आंगनबाडी केन्द्र, जल उपभोक्ता समितियाँ, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवा मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाय तथा इस आयोजन को सफल बनाये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

5. इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाये कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति

संवेदनशील बन सके। समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूँकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं, अतएव अन्य सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उ0प्र0 जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के सहयोग से इस पुनीत कार्यक्रम को सफल बनाया जाय। उद्देश्यों की सफलता पूर्वक पूर्ति हो सके।

6. इस वर्ष भूजल सप्ताह के आयोजन का मुख्य विचार बिन्दु "जल संरक्षण का करो प्रयास - जल ही है जीवन की आस" रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

7. अस्तु, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2024 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में उपरोक्तानुसार 'भूजल सप्ताह' का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Durga Shanker Mishra
Date: 30-06-2024 16:57:33

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्याः 571(1)/76-3-2024/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. आयुक्त, समस्तनगर निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव